तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5-6-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मतगणना ड्यूटी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली वाबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 18-6-24 को पेश हों।
18-6-24	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित सरकार पैरोकार तहसीलदार इन्द्रगढ़ उपस्थित। सरकार पैरोकार ने जवाब प्रा०पत्र प्रस्तुत नहीं कर अनापत्ति जाहिर की हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली कैसल शुमार हो प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

14 / प्रा.पत्र / 2024
दायरा दिनांक 04.04.2024

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

रहीमुद्धीन उर्फ मोहम्मद हुसैन पुत्र अलीममुद्धीन जाति मुसलमान निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
2. नायब तहसीलदार , लाखेरी जिला बून्दी।

—अप्रार्थिगण

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट
प्रार्थी की ओर से :— श्री महेन्द्र कुमार रेबारी
अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार।

दिनांकः— 18.06.2024

—:आदेशः—

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है कि ग्राम कांकराडूंगर पटवार हल्का उतराणा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की कृषि भूमि खाता संख्या 128 पुराना 127 खसरा नं0 842 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 843 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 844 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 849 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 851 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 852 रकबा 0.10 है0 कुल किता 6 रकवा 0.77 हैक्टेयर तथा कृषि भूमि खाता संख्या नया 126 पुराना 125 खसरा नं0 831/925 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 850 रकबा 0.69है0 जिसका खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि के समीप ही अन्य कृषि भूमि है जिसके कारण प्रार्थीगण की कृषि भूमि दबी हुई है जिसके कारण आस—पास के पड़ौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थीगण की कुछ भूमि सिकुड़ी हुई है जितनी कृषि भूमि प्रार्थी के खाते में है उतनी कृषि भूमि मौके पर नहीं है। प्रार्थिगण द्वारा प्रार्थना में वर्णित कृषि भूमि का दिनांक 20.07.2023 को

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

सीमाज्ञान करवाया था परन्तु प्रार्थी की खातेदारी एवं व कब्जे की कृषिभूमि के पडौसी खातेदार प्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण की सीमाओ को मिटाना चाहते हैं। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थी की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2073–76 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है जिन्हे अपनी खाते कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दौहराव करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कांकराडूंगर पटवार हल्का उतराणा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की कृषि भूमि कृषि भूमि खाता संख्या 128 पुराना 127 खसरा नं0 842 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 843 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 844 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 849 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 851 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 852 रकबा 0.10 है0 कुल किता 6 रकबा 0.77 हैक्टेयर तथा कृषि भूमि खाता संख्या नया 126 पुराना 125 खसरा नं0 831/925 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 850 रकबा 0.69है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77है0 जिसका खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थिगण से वसूल किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

212